

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./स-1/60133/वि.पि.वर्ग/पूमै/2016-17
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)

दिनांक 09-6-16

विषय :- विशेष पिछड़ा वर्ग को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2016-17 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

राजस्थान सरकार, के पत्रांक एफ.1(4)शिक्षा-1/2011 दिनांक 20.05.2011, पत्रांक एफ.1(4)शिक्षा-1/2011 दिनांक 12.07.2011 एवं 05.01.12 द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग [1. बंजारा, बालदिया, लावाना 2. गाडिया-लोहार, गाडोलिया, 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी), के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति वितरण करने के निर्देशानुसार नीचे अंकित निर्देशों, शर्तों एवं पात्रता मानदण्डों का गहनता से अध्ययन कर अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के समेकित प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

चरणबद्ध कार्यक्रम :

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	01.08.2016
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ.कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	05.08.2016
3.	जि.शि.अ. द्वारा समेकित प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत करना	10.08.2016

पात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार हैं:-

A. आवेदन :

विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु नवीन आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। यह नवीन आवेदन पत्र ही मान्य होगा एवं उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईड www.rajshiksha.gov.in पर भी उपलब्ध है। उन्हें वेबसाईड से डाउन लोड कर पर्याप्त मात्रा में फोटो कॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है।

B. पात्रता :

- विशेष पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्य विशेष पिछड़ी जाति की सूची में जाति का शामिल होना अनिवार्य है।
- छात्र/छात्राओं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्राओं के माता-पिता जीवित हो या उनके जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2,00,000(दो लाख) रुपये की सीमा तक हो तथा आय प्रमाण पत्र राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के पत्रांक प.13(34)राज/ग्रुप-1/2012 दिनांक 09.08.2012 के अनुसार आय उद्घोषणा पत्र में प्रस्तुत करना होगा।
- छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय / सार्वजनिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- छात्रवृत्ति दरें निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	50/- प्र.माह
2	छात्रा	6 से 8	100/- प्र.माह
3	छात्र	9 से 10	60/- प्र.माह
4	छात्रा	9 से 10	120/- प्र.माह

C. संलग्न दस्तावेज :-

आवेदन पत्र के साथ लगने वाले समस्त दस्तावेजों की मूल/सत्यापित फोटो प्रतियां ही मान्य होगी।

1. आय प्रमाण-पत्र बिन्दु संख्या B-3 के अनुसार (मूल)
2. जाति प्रमाण-पत्र
3. परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित छायाप्रति।


आपके कार्यालय में शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों का प्राप्ति रजिस्टर संधारण किया जावे। रजिस्टर में प्रविष्ट का क्रमांक एवं आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किया जावे। आवेदन पत्र की गहनता से जाँच की जाए एवं जांच से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही छात्रवृत्ति स्वीकृति की कार्यवाही की जाए। छात्र/छात्राओं से संबंधित सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र "अ" में कार्यालयरिकार्ड में सुरक्षित रखें जावें। एवं माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय द्वारा अलग-अलग प्रस्ताव प्रस्तुत करने हैं।

ऊपर अंकित पात्रता मानदण्डों, निर्देशों एवं शर्तों का गहनता से अध्ययन कर तत्काल अपने अधिनस्थ संस्था प्रधानों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए छात्र/छात्राओं के आवेदन प्राप्त कर आपके जिले के प्रस्ताव प्रपत्र "ब" में मय प्रमाण-पत्र के हार्ड कॉपी मय सीडी सहित वाहक स्तर पर दिनांक 10.08.2015 तक निदेशालय को आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जाएंगे।

नोट :- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।


संलग्न :- प्रपत्र 'अ' व 'ब', आवेदन पत्र


(बी.एल.स्वर्णकार)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./स-1/60133/वि.पि.वर्ग/पूमै/2016-17
प्रतिलिपि :-

दिनांक :

1. उपशासन सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को अपने विभाग के समेकित प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग राज. जयपुर को अपने विभाग के समेकित प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु।
5. मुख्यलेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान।
6. उपनिदेशक (योजना) कार्यालय हाजा।
7. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक/प्रारंभिक) शिक्षा विभाग।
8. सिस्टम एनालिस्ट. कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
9. वरिष्ठ सम्पादक शिविरा को शिविरा पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10. प्रभारी प्रभाग "ब" छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ।


21/8/16
उपनिदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रपत्र-अ

(विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति की सूचियां जि.शि.अ. कार्यालय रिकार्ड में संधारित रखने का प्रपत्र)

क्र. सं.	जिला	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम व पूर्ण पता	कक्षा	छात्र/छात्रा के घर का पूरा पता	गत कक्षा में प्राप्तांक (प्राप्तांक प्रतिशत में अंकित किये जायें)	माता / पिता / संरक्षक की वार्षिक आय	विशेष पिछड़ा वर्ग में जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र - ब

(मांग राशि के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र)

क्र. सं.	जिला	कक्षा 6 से 8		चाही गई राशि		कक्षा 9 से 10			चाही गई राशि	कुल मांग (कॉलम 6 व 10 का योग)
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाण-पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि योजना मे वर्णित शर्तों के अनुसार ही पात्र छात्र/छात्राओं का चयन करते हुए उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है कोई भी पात्र छात्र/छात्रा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहा है।

हस्ताक्षर
जि.शि.अ (माध्य.)

राजस्थान सरकार
विशेष पिछड़ा वर्ग (बंजारा, बालदिया, लावाना / गाडिया लोहार, गाडोलिया / गुजर, गुर्जर / राईका, रेबारी, देबासी)

आवेदन-पत्र
(सत्र 2016-2017 की छात्रवृत्ति हेतु)

आवेदक अपना
नवीन फोटो
चिपकाएं

01. छात्र/छात्रा का नाम
02. जाति उपजाति
03. पिता का नाम व व्यवसाय
04. परिवार की कुल वार्षिक आय
05. प्रार्थी का निवास स्थान ग्राम पोस्ट तहसील
06. वर्तमान स्कूल का विवरण जहां छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है।
(अ) शाला का नाम स्थान.....
(ब) पोस्ट ऑफिस तहसील..... जिला
07. वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि
08. पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है :-
स्कूल का नाम स्थान.....
09. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा गत वर्ष उत्तीर्ण हुआ है
10. परीक्षा फल उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण

गत परीक्षा में अंको का विवरण

क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1				4			
2				5			
3				6			

कक्षा में स्थान श्रेणी..... योग प्राप्तांक.....

11. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हां तो :-

(अ) कहां से मिलती है..... (ब) कितनी मिलती है

(स) दर (द) मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक व एक मुश्त

12. बैंक का नाम :
- खाता संख्या :
- IFSC कोड :
- भामाशाह कार्ड संख्या :
- आधार कार्ड संख्या :

माता-पिता/संरक्षक और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि :-योजना संबंधी सभी नियमों / निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लिया है, जिनका मैं पूर्णतया पालना करूंगा/करूंगी। मेरे द्वारा प्रदत्त तथ्यों (संलग्न दस्तावेजों) में कोई भी गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति विभाग को वापस जमा कराने का वचन देता/देती हूँ। मैं अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र

01. मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
02. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
03. छात्र/छात्रा समाज कल्याण विभाग या राजकीय या स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
(मोहर सहित)

:: संबंधित सरपंच,पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण-पत्र ::

01. मैं प्रमाणित करता हूँ की छात्र/छात्रा की जाति है जो विशेष पिछड़ी जाति की गणना में आती है।

हस्ताक्षर
पद (मय सील सहित)

उक्त छात्र/छात्रा कोरुपये प्रतिमाह के हिसाब से माह से तक की छात्रवृत्ति के कुलरुपये स्वीकृत किये जाते हैं।

हस्ताक्षर स्वीकृतिधिकार
पद (मय सील सहित)

नोट :- जाति के कॉलम नं. 2 बंजारा,बालदिया,लावाना/गाडिया लोहार,गाडोलिया/गुजर, गुर्जर /राईका, रेबारी, देबासी आदि लिखना अत्यन्त आवश्यक है तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.19(5)शिक्षा-6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावे।